इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अगस्त 2015—श्रावण 26, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015

सूचना

क्र. एफ-15-64-2015-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रं. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति से, उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 3 में, कॉलम (7) में,—

(क) मद क्रमांक (2) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(2) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (गायन/वादन शिक्षक) के लिए न्यूनतम अर्हता, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मुक्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/संस्था से गायन/वादन या समकक्ष में चार वर्षीय डिप्लोमा."

स्पष्टीकरण—गायन/वादन योग्यता के अतिरिक्त चार वर्षीय डिप्लोमा से उच्च योग्यता बी. म्यूज/एम. म्यूज/विद्/कोविद्/रत्न भी मान्य की जाएगी;

(ख) मद क्रमांक (3) के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(3) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के लिए न्यूनतम अर्हता, कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त सस्था से शारीरिक शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा.

स्पष्टीकरण—शारीरिक शिक्षा परीक्षा में डिप्लोमा के अतिरिक्त उच्च योग्यता बी.पीएड./एम.पीएड. जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हो, भी मान्य की जाएगी.".

2. यह संशोधन इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें.

NOTICE

F. No. 15-64-2015-XXII-P-2.—The Following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Conditions of Contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of Secntion 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Schedule-II, in serial number 3, In column (7),—

(a) For item No. 2, the Following item shall be substituted, namely:—

"2. The minimum qualification for Samvida Shala Shikshak Grade-3 (Vocal/Instrumental Teacher) Shall be Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Four years Diploma in Vocal/Instrumental or equivalent from any collage/Institution recognized by the University Grant Commission/Open University.

Explanation;—Higher Education apart from Four years Diploma in Vocal/Instrumental like B.Mus/ M.Mus/Vid/Kovid/Ratan may also be considered.";

(b) For item No. 3, the following item shall be substituted, namely:—

"For item No.3, the minimum qualification for Samvida Shala Shikshak Grade-3 (Physical Instuctor) shall be Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Diploma in Physical Education Examination from any college/Institution recognized by NCTE.

Explanation;—Higher Education apart from Diploma in Physical Education Examination like B.PEd/ M.PEd recognized from NCTE may also be considered.";

2. This amendments shall come into force from the date of publication of this notice in the officail Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बृजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.